संख्या-20/2017/297/41-2017

प्रेषक,

विनय कुमार सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय- पर्यटन विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 10310/6-1-1(699)/बजट/2016, दिनांक 28-03-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में पर्यटन विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लेखाशीर्षक-''5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं-9701-आगरा ब्रजपरिक्षेत्र एवं बौद्धपरिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य मद उपलब्ध बचत की धनराशि रू0 1637.71 लाख से लेखाशीर्षक-''5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलो पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य'' मद में रू0 975.02 लाख की धनराशि संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए निम्नलिखित तालिका के कालम 02 में अंकित योजना/निर्माण कार्य के लिए कालम 03 में उल्लिखित कार्यदायी संस्था को नामित करते हुए प्रस्तर-4 एवं 5 में अंकित धनराशि की क्रमशः प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित कार्यदायी संस्था का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	जनपद फैजाबाद के अयोध्या स्थित क्वीन-हो-मेमोरियल काम्प्लेक्स परियोजना।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,	494.24	238.78
2.	जनपद सिद्धार्थ नगर में बौद्ध स्तूप, कपिलवस्तु के पास रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं (भंते) के लिये डारमेट्री/ आवासीय व्यवस्था के निर्माण की व्यवस्था।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लि0 बस्ती, इकाई-23	118.35	59.17

http://shasanadesh.up.nic.in

3.	जनपद इलाहाबाद में होटल इलावर्त का उच्चीकरण एवं फर्नीचर का कार्य	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सीयू, इलाहाबाद।	174.39	87.19
4.	जनपद मथुरा में राही पर्यटक आवास गृह, मथुरा का उच्चीकरण।	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आगरा	102.84	51.42
5.	जनपद चित्रकूट में राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट का उच्चीकरण	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद चित्रकूट	24.93	24.93
6.	कपिलवस्तु के पर्यटन स्थलों पर साइनेज बोर्ड की व्यवस्था।	उ0प्र0 आवास एवं विकास पषिद।	277.73	138.86
7.	जनपद लखनऊ के चन्द्रिका देवी पर्यटन स्थल में कटीले तार की बाउण्ड्री की फेन्सिंग।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ, इकाई-31	48.66	48.66
8.	जनपद गोरखपुर के मोहल्ला राजघाट में स्थित ऐतिहासिक उदासी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का कार्य	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लि0	202.03	101.01
9.	जनपद वाराणसी में स्थित सन्तकबीर प्राकट्य स्थल लहरतारा का सौन्दर्यीकरण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लि0	450.00	225.00
		योग	**1893.17**	**975.02**

(1) प्रस्तर-2 में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे आवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तैयार किये गये आगणन का परीक्षण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- 19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 में दिये गये मार्गदर्शी बिन्दुओ के अनुसार अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया गया है। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यदायी संस्था की होगी, जिसका अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो तथा कार्यदायी संस्था को प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिस हेतु उपरोक्त योजनाओं के लिए पूर्व में दी गयी वित्तीय स्वीकृतियों का भलीभांति मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(7) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित करते हुए उसकी मासिक/त्रैमासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्परीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि जिन मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है उन मदों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो तथा जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(9) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त प्रस्तर-2 के अंकित तालिका में उल्लिखित योजना/निर्माण कार्यों हेतु होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-''5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-97-वाह्यसहायतित परियोजनाएं-9701-आगरा ब्रजपरिक्षेत्र एवं बौद्धपरिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत् निर्माण कार्य मद उपलब्ध बचत की धनराशि में से रू0 975.02 लाख को लेखाशीर्षक-''5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलो पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य'' मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रारूप बी0एम0-9 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उपलब्ध कराते हुए उनके नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या ई-7-211/दस-2017 दिनांक 30 मार्च, 2017 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-20/2017/297(1)/41-2017 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाएं।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
8- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in